न्यायालय:-प्रथम अपर न्यायाधीश के द्वितीय अति. न्यायाधीश, अशोकनगर श्रृंखला न्यायालय चंदेरीजिला - अशोकनगर (म.प्र.) ।। समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकूर।।

संस्थित दिनांक—17.11.2017 आर.सी.ए.नं.-79 / 2017 सिविल अपील क.-20 / 2017

- 1. भारत पुत्र रामदास लोधी, आयु–35 वर्ष,
- 2. वीरभान पुत्र रामदास लोधी, आयु-32 वर्ष,
- 3. मलखान पुत्र रामदास लोधी, आयु-30 वर्ष,
- 4. जगन्नाथ पुत्र आशाराम लोधी, आयु–35 वर्ष,
- 5. रामचरण पुत्र मोहन लाल लोधी, आयु–60 वर्ष, निवासीगण-ग्राम बडैरा चक, चंदेरी जिला-अशोकनगर

.....अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण

।। विरूद्ध।।

- 1. हरिराम पुत्र हजारी लोधी, आयु-60 वर्ष,
- 2. कमल सिंह पुत्र हजारी लोधी, आयु-55 वर्ष,
- 3. रूप सिंह पुत्र चंदन सिह लोधी, आयु-50 वर्ष,
- 4. कृपाल पुत्र चंदन सिंह लोधी, आयु–48 वर्ष,
- 5. करन पुत्र चंदन सिंह लोधी, आयु-50 वर्ष,
- 6. सोम सिंह पुत्र चंदन सिंह लोधी, आयु-48 वर्ष,
- 7. शिवराज पुत्र हजारी लाल लोधी, आयू-65 वर्ष, निवासीगण-ग्राम बडैराचक, तह. चंदेरी. जिला–अशोकनगर
- म.प्र.शासन द्वारा, कलेक्टर जिला—अशोकनगर

THE THE TOTAL	/ ar al 11 m
 <u>प्रतिअपीलाथी गण</u>	<u>/ वादागण</u>

अपीलार्थीगण द्वारा प्रतिअपीलार्थीगण क.-1 व 2 द्वारा :- श्री सतीश श्रीवास्तव अधि.।

:– श्री जाफरी अधि.।

प्रतिअपीलार्थीगण क.-3 लगायत ८ द्वारा :- पूर्व से एकपक्षीय।

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 27.04.2018 घोषित किया गया)

प्रस्तुत विविध अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, चंदेरी,अशोकनगर (श्री साजिद मोहम्मद) के द्वारा प्रकरण क.-02ए / 17 में दिनांक 10.10.2017 को दिए गए आदेश जो कि ग्राम बडेरा चक में स्थित भूमि सर्वे क.-290 रकबा 0.209 हे. भूमि जिसके संबंध में वादीगण द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रस्तूत किया गया है, के संबंध में आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण के निराकरण तक विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप न किए जाने बाबत् जारी किए जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत

- प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत विविध अपील के निराकरण में अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अनुसार वादी एवं अपीलार्थीगण को प्रतिवादीगण के रूप में संबोधित किया जाएगा।
- प्रस्तुत विविध अपील व्यवहार वाद क.-20ए/2017 से उत्पन्न हुई है, जिसमें यह निर्विवादित तथ्य है कि सर्वे क.-290 रकबा 0.209 हे. हल्का ग्राम बडेरा चक, तहसील चंदेरी राजस्व अभिलेखों के अनुसार वादीगण की भूमि चंदन सिंह, शिवराज सिंह, कमल सिंह, हरिराम पुत्र हजारी लाल के नाम पर दर्ज है।
- विचार न्यायालय के प्रकरण में वादी ने अपने आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी दिनांक 10.07.2017 में यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शा में अ, ब, स, द भाग पर स्थित दीवाल पर जो कि सर्वे क.-290 ग्राम बडैरा चक, चंदेरी का भाग है पर अवैध रूप से बल पूर्वक कब्जा करना चाहता है एवं उक्त स्थान पर बनी हुई वाउंड्री वाल पर प्रकरण के निराकरण के पूर्व जबरजस्ती आधिपत्य करना चाहते है। अतः प्रकरण के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा दिए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन के समर्थन में वादी द्वारा नंदराम एवं कल्लू जो कि ग्राम बडेरा चक के निवासी है, के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए है।
- अनावेदकगण / प्रतिवादीगण क-1, 2, 3, 4, 5 की ओर से उक्त आवेदन के जबाब में बताया है कि आवेदक द्वारा स्वत्व संबंधी एवं आधिपत्य संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा भूमि को हडपने का षणयंत्र किया जा रहा है। वे आवेदक की किसी दीवाल पर कब्जा नहीं करना चाहते है। अनावेदकगण ने उनकी भूमि का सीमांकन कराया है, जिसकी नकल प्रस्तुत की गई है। आवेदक का किसी भूमि से कोई संबंध नहीं है। आवेदक को अपनी भूमि का सीमांकन करना चाहिए। अनावेदक को सीमांकन में प्राप्त भूमि पर वाउंड्री बनाना चाहता है। इसलिए न्यायालय से अनुमति लेकर वंदिश लगाना चाहता है। आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है। आवेदन के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा भारत सिंह पुत्र रामदास लोधी, निवासी ग्राम बडैया तह. चंदेरी का शपथ प्रस्तुत किय गया है।

प्रस्तुत आदेश के संबंध में मुख्य विचारणी बिंदु यह है कि -

क्या, प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय

.**3**. सिविल अपील क.—20 / 2018

क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में है ?

- 2— क्या, विचारण न्यायालय ने वादीगण के आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के संबंध में दिनांक 10.10.2017 को स्वीकार करने में विधिक भूल कारित की है ?
- 6. उपरोक्त विचारण प्रश्नों के संबंध में विचारण न्यायालय में उभय पक्षों द्वारा अपने—अपने स्वत्व की भूमि के संबंध में खसरा पांचसाला एवं वादग्रस्त भूमियों का निक्शा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण/अनावेदकगण/अपीलार्थीगण द्वारा सीमांकन पंजीयन, रसीद एवं नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया गया है।
- प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत नंदराम व कल्लू के शपथ पत्र अनुसार 7. वादग्रस्त स्थान पर भारत सिंह बगैरह, कमल व हरिराम का कब्जा देखने के संबंध में समर्थन किया है। जबकि भारत सिंह के शपथ पत्र में उक्त भूमि भाग के संबंध में सीमांकन उपरांत उन्हें उनका आधिपत्य दे दिए जाने के संबंध में शपथ पत्र दिया गया है। प्रस्तुत सीमांकन पंजीयन का अवलोकन किया गया। सीमांकन पंजीयन अनुसार सर्वे क.–26, 36, 291, 292, 293, 385, 38 कुल रकबा 4.671 हे. भूमि का मौके पर सीमांकन किया गया है तथा चतुर्सीमा पर सीमांकन कर निशान लगाए गए है। उक्त सीमांकन पंजीयन पर इस प्रकरण के वादीगण हरिराम व कमल सिंह के हस्ताक्षर खुली आंखों से देखे जाने पर कही पर होना दर्शित नहीं होते है। प्रकरण में उक्त पंजीयन एवं रसीद में यह कही दर्शित नहीं है कि उक्त जमीन का कोई भाग सर्वे क.-290 की भूमि में जो कि वादीगण के आधिपत्य में होना बताया गया है। जबिक वादी ने अपने आवेदन के समर्थन में चक बडेरा गांव के दो निवासियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य है। जबकि मूल प्रकरण के प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत भारत सिंह के शपथ पत्र में सीमांकन उपरांत उन्हें आधिपत्य प्राप्त होना बताया गया है, जिससे प्रथम दृष्टाया प्रकट होता है कि वादग्रस्थ स्थान पर प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण का आधिपत्य सुदृढ नहीं है । उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों एवं अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में एवं प्रतिवादी क-1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं शपथ पत्र के आलोक में प्रथम दुष्टया वादीगण का मामला सुदृढ होना प्रकट होता है।
- 8. न्यायदृष्टांत रामेगौडा वि. एम.वरडप्पा नायडू ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 4609 में यह मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी पक्ष ने अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं किया, वादी स्थापित आधिपत्य में है, उसका आधिपत्य संरक्षित किया जाना चाहिए। विधिक का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि निषेधाज्ञा का अनुतोष एक विवेकाधिकार पर आधारित अनुतोष है, जिसे सामान्यतः अतिकामक के पक्ष में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। परंतु प्रश्नगत् प्रकरण में वादी ने अपना स्वामित्व एवं आधिपत्य बाबत् खसरा पांचसाला के आधार पर प्रथम दृष्टया वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होना पाया है। प्रतिवादीगण क.—1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत जबाब को देखते हुए सीमांकन में वादी के आधिपत्य की भूमि बाबत् भूमि निकलने की संभावना से एवं प्रतिवादीगण द्वारा बल

.**4.** सिविल अपील क.—20 / 2018

पूर्वक बेदखल किए जाने की आशंका दर्शित किए जाने से बलपूर्वक आधिपत्य में हस्तक्षेप की आशंका निर्मूल नहीं कही जा सकती है एवं माननीय न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धांत के आलोक में हक न होने पर भी बल पूर्वक आधिपत्य विहीन किए जाने को संरक्षित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का मामला विवेचना उपरांत प्रथम दृष्टया सुदृढ होने एवं सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिंद्धांत वादीगण के पक्ष में पाए जाने से दी गई स्थाई निषेधाज्ञा अनुसार प्रतिवादीगण को विधि की प्रक्रिया अपनाए बगैर बल पूर्वक बेदखल किए जॉने से निषेधित किया गया है। विधिक कार्यवाही किए जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसी स्थिति में विचार विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश विधि संमत है। उसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः विचारण न्यायालय ने वादीगण का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी विधिक शर्तों के अनुरूप सही पारित किया है। अतः प्रस्तुत विविध अपील अस्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 की पृष्टि की जाती है। इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुण-दोषों पर निराकरण के समय नहीं होगा।

10. उभय पक्ष अपना—अपना व्यय वहन करेगें।

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जाए।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित, घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया मेरे आलेख में टंकित किया गया

।। राजेन्द्र सिंह ठाकुर।। प्र.अ.जिला न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.अति.न्यायाधीश, अशोकनगर

।। राजेन्द्र सिंह ठाकुर।। प्र.अ.जिला न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.अति. न्यायाधीश, अशोकनगर

.5.

पृष्ठांकन :- अशोकनगर, दि.
izfrfyfi %&Jhefr fjrq oekZ dVkfj;k] f}rh; O;ogkj
U;k;k/kh'k oxZ&1] v'kksduxj dh vksj lwpukFkZ
,oa ikyukFkZ izsf"krA

न्यायदृष्टांत मानसिंह (डी) द्वारा वारिसान विरुद्ध रामकला मृत द्वारा वारिसान एवं अन्य 2011 एस.सी. 1542 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मृतक की विधवा, पुत्र एवं पुत्रियां प्रथम अनुसूची के प्रथम वर्ग के वारिस है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया था एवं पत्नी एवं पुत्रों के बीच निर्धारण किया गया। ऐसा निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त किया गया। उक्त प्रकरण में पुत्रियों को भी पक्षकार नहीं बनाया जाना प्रकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना गया है। प्रश्नगत् प्रकरण में भी वादिनी अन्य पक्षकारों के साथ मृतक जगना की अंशभागी होना अभिलेख पर प्रमाणित होता है।